जयपुर, 15 - 30 अप्रेल 2018 आरएनआई नं. : राजहिन/2010/34201 पृष्ठ 8 . मूल्य ₹12.00 वर्ष 7 . अंक 20

विश्वस्तरीय पाक्षिक

कॉरपोरेट पोस्ट

रिटेंशन चार्जेस में दी रीको ने छूट

रियायती दर पर ली जमीन, अब करोड़ों में बेची

मंजू सुराणा, आबू रोड

रीको विभाग में रियायती दर पर जमीन लेकर भूमाफियों का खेल लम्बे अर्से से चला आ रहा है। हाल ही में रीको आबू रोड विभाग द्वारा दी गई पंचशील ग्लोबल कम्पनी को रियायती दर पर जमीन का मामला मुख्यालय में आया है। रीको विभाग ने वर्ष 2010 को कम्पनी को 42000 वर्गमीटर जमीन मात्र 215 रूपए प्रतिवर्गमीटर में दी।

रीको नियमों के अनुसार कम्पनी को तीन वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू करना था परंतु उत्पादन तो दूर की बात थी कम्पनी ने 2018 तक कंसस्ट्रेक्शन तक शुरू नहीं किया। इसके लिए रिटेंशन चार्जेस लगने चाहिए थे परंतु कम्पनी ने पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देकर रिटेंशन चार्जेस में छूट ले ली।

आईडीसी में दी गई छूट

रिटेंशन चार्जेस में छूट के लिए कम्पनी ने आवेदन किया उसके बाद रीको विभाग की आईडीसी की हुई बैठक में पंचशील ग्लोबल को रिटेंशन चार्जेस नहीं भरने की छूट दे दी गई। रीको ने बैठक में कहा कि कम्पनी को पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिल जाती तो दो वर्ष के लिए ओर छूट दी जाती है।

कम्पनी ने बेचा भूखण्ड

कम्पनी का उद्देश्य शुरू से ही उत्पादन शुरू करने का नहीं था, इस बात का खुलासा तब हुआ जब कम्पनी ने रीको विभाग में शेयर होल्डर बदलने के लिए आवेदन किया। रियायती दर पर रीको से लिया गया भूखण्ड को अब करोड़ों में बेच दिया गया। कम्पनी ने इसके लिए खुद के शेयर होल्डर हटा कर दूसरी कम्पनी के शेयर होल्डर को शामिल कर दिया। इससे रीको से ट्रांसफर चार्जेस, रिटेंशन चार्जेस आदि में करोड़ों का फायदा ले लिया गया।

नई कम्पनी में जरूरत नहीं पर्यावरण स्वीकृति की

सूत्रों के अनुसार पंचशील ग्लोबल ने जिस कम्पनी को भूखण्ड बेचा है वो कम्पनी भूखण्ड पर स्टेनलेस स्टील का प्लांट लगाने वाली है, जिसके लिए ईसी की जरूरत नहीं रहेगी परंतु सवाल यह है कि अब तक रीको विभाग ने ईसी की आड़ में जो छूट दी थी उसे वसूलने के लिए रीको विभाग अब क्या करेगा?

शहर में कई पॉश इलाकों में रोक के बाद भी हुक्का बार का हो रहा संचालन

खुले आम चल रहे हुक्का बार

सीपी रिपोर्टर, जयपुर

रोक के बावजूद शहर में धडल्ले से चल रहे है हुक्काबार। जवाहर सर्किल, राजापार्क और सी-स्कीम इलाकें के कैफे सिर्फ हुक्का बार की वजह से ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हुक्का संचालक इसे चोरी-छिपे चला रहे हैं बल्कि वे धडल्ले से खुलेआम हुक्का पीने दे रहे हैं।

प्रत्येक हुक्का के 1200 रूपए लिए जाते हैं और इसके एवज में उन्हें 30 से 45 मिनट पीने के लिए दिए जाते हैं। गौर करने की बात तो यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा खुलेआम हो रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस और प्रशासन से साठ गाठ कर हुक्का संचालक खुलेआम हुक्का बार चला रहे हैं।

नई दिल्ली में किया कैफे का लाइसेंस निरस्त

अवैध हुक्का बार चलाने वाले संचालक के खिलाफ दिल्ली में चिकित्सा विभाग ने कैफे का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की। अगर ऐसी ही कार्रवाई जयपुर में भी शुरू हो जाए तो रातों रात ये अवैध गतिविधियां बद हो सकती हैं।

प्रत्येक हुक्का के 1200 रूपए लिए जाते हैं और इसके एवज में उन्हें 30 से 45 मिनट पीने के लिए दिए जाते हैं।

जयपुर में भी होती है कार्रवाई

हालांकि हुक्का बार पर छापे की कार्रवाई जयपुर में भी होती है, परंतु लाइसेंस निरस्त करने जैसी प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई। यही वजह है कि बेन के बावजूद संचालकों को इसे इसे खुलेआम चलाने का कोई डर नहीं है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

हुक्का बार में हुक्का के अंदर निकोटिन मिलाया जा रहा है। हुक्का संचालक कहते हैं कि वे हर्बल हुक्का पीलाते हैं लेकिन यह सच नहीं है जबकि हुक्का में चारकोल यूज होता है, तभी तंबाकू चलता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैस निकलती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुक्का लोग एक दूसरे को शेयर करके पीते हैं, जब यह शेयर किया जाता है तो संक्रमण एक से दूसरे में फैलने का खतरा रहता है।

खुलेआम इन कैफे में चल रहा है हुक्का बार

जयपुर अड्डा, ब्लैक आउट, हाउस ऑफ पीपल, एसटेरिया, फिमोटिको, सोश्यललाइट, नो वे आउट, स्काई बीच, हैरिटेज हुक्का लाउंज आदि जगहों पर खुले आम हुक्का बार चल रहे हैं।

10 के सिक्कों का चलना बंद, जनता परेशान, बैंक खामोश

शहर में दुकानदार नहीं ले रहे 10 रुपए के सिक्के

व्यापारी बोले- बैंक भी नहीं ले रहे, तो हम कैसे लें

रोहित शर्मा, अलवर

बेशक देशभर में 10 रुपए का सिक्का चल रहा हो और उससे लेनदेन भी हो रहा है लेकिन अलवर में दुकानदार से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी दस के सिक्कों को करंसी नहीं माना जा रहा है। अलवर कॉरपोरेट पोस्ट ने सोश्यल मीडिया के जरिए दस के सिक्कें चलाने की मुहीम शुरू की और इसके बाद कई दुकानदार लेने के लिए भी तैयार हुए परंतु बैंकों की ओर से कोई कदम नहीं उठाने पर दुकानदार भी फिर से मना करने लगे हैं।

दुकानदारों का कहना है कि बैंक ही सिक्के नहीं ले रहे तो हम सिक्कें लेकर कहां जाएंगे। ग्राहकों को भी ऐसी स्थिति में छोटी वस्तुएं खरीदने में परेशानी आ रही है। खास बात यह है कि सिक्कें न लेने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई तक नहीं हो रही है। ऐसे में पूरे जिले में सिक्कों का प्रचलन बंद होता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने किसी सिक्कों के चलन को बंद नहीं किया है। लेकिन जिले में दुकानदारों ने दस के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया है।

दुकानदारों का यह कहना

एक दुकानदार ने बताया कि उनके पास सिक्कें ही सिक्कें आ रहे हैं। वे जब माल मंगाते हैं तो उन्हें बदले में नोट देने पड़ते हैं। जिससे माल खरीदते हैं वह सिक्कें नहीं लेता। जब बैंक में सिक्कें जमा कराने जाते हैं तो बैंक सिक्कें जमा नहीं करती। ऐसे में सिक्कों का क्या करें। हमारे सिक्कों के ढेर लग, इसलिए अब हम सिक्कें ही नहीं लेंगे तो परेशानी नहीं होगी।

यह भी है वजह

नोटबंदी के बाद बाजार में सिक्कें अधिक आ गए हैं। जबकि पहले चिल्लर यानी खुल्ले पैसों का संकट रहता था। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने सिक्कें अधिक जारी कर दिए। ऐसे में बाजार में चिल्लर ज्यादा आ गई है। चूंकि बैंक चिल्लर को जमा नहीं करते इसलिए दुकानदारों ने उसे लेना ही बंद कर दिया है।

यह कर सकते हैं

यदि कोई सिक्के लेने से मना करता है तो उसकी शिकायत संबंधित बैंक या पुलिस से कर सकते हैं। चलन वाले सिक्कें न लेने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

जेडीए में सेटबैक की आड़ में नाम हस्तांतरण की फाइलें रोकी

सीपी रिपोर्टर, जयपुर

Jaipur Development Authority

गृह मंत्रालय की ओर से आए सर्कुलर में नाम हस्तांतरण और पट्टा वितरण में सेटबेक निर्माण की भूमिका का प्रश्न नहीं, बावजूद जेडीए अधिकारी लोगों को लगवा रहे हैं चक्कर

जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी में इन दिनों नाम सरकार के एक सर्कूलर की आड़ में नाम हस्तांतरण और पट्टा आवेदन करने वालों को फंसाया जा रहा है। इसका एक मामला हाल ही में सामने आया जिसमें विद्याधर नगर निवासी पंकज शाह व नीरज शाह ने नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन किया जिसके बाद जेडीए के उपायुक्त 2 की ओर से आए पत्र में कहा गया कि सेटबेक में निर्माण होने की वजह से नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं हो सकती, जब तक सेटबेक से निर्माण कार्य नहीं हटाया जाएगा तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी।

कॉरपोरेट पोस्ट अखबार को जब इसके बारे में खबर मिली तब आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में ये साफ हो गया कि सरकारी आदेश में ये कतई नहीं है कि नाम हस्तांतरण और पट्टा आवेदन करने वालों के आवेदन सेटबेक की वजह से रोका जाए. आवेदन के एक से दो माह के भीतर नाम हस्तांतरण और पट्टा आवेदन करने वालों की फाइल क्लीयर हो जानी चाहिए परंतु जेडीए के अधिकारी एक-एक आवेदक को सैकड़ों चक्कर लगवा रहे हैं।

आवंटी को मिली राहत

सारे मामले का जब खुलासा हुआ तो हमारे रिपोर्टर सुनील गुप्ता द्वारा जब कार्रवाई की गई तो इससे आवंटी को फायदा हुआ और भूखण्ड संख्या 65 सेक्टर नम्बर 6 विद्याधर नगर के मूल आवंटी गणेश शंकर शाह का हस्तांतरण पंकज शाह और नीरज शाह के नाम किया गया।

जेडीए विभाग में सैकड़ों आवेदन पेंडिंग

जयपुर डवलपमेंट ऑथोरिटी में नाम हस्तांतरण के सैकड़ों आवेदनों का निस्तारण सालों से नहीं हुआ है। जांच पड़ताल में सामने आया कि आवेदन करने वालों को नाम हस्तांतरण की फाइल अटकाने में सेटबेक का नियमों का हवाला दिया जाता है जबकि नाम हस्तांतरण और पट्टा वितरण में सेटबेक निर्माण का कोई तात्पर्य नहीं हैं।

जोधपुर के अस्पतालों से जुड़ी रिपोर्ट में कई अनियमितताएं उजागर

अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल पद पर नियुक्ति दे दी, जोधपुर में क्यों नहीं

राजीव मेहता, जोधपुर

हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास और मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि शहर के अस्पतालों से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है, इसमें कई अनियमितताएं उजागर हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है। खंडपीठ ने यह टिप्पणी दी कि डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. अमीलाल भाट को इस पद पर दुबारा एक्सटेंशन नहीं दिए जाने के आदेश के विरुद्ध दायर उनके प्रार्थना पत्र पर को सुनवाई के दौरान की।

कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तो नियुक्ति दे दी, केवल जोधपुर के डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति क्यों रोक रखी है। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद मुकर्रर की है। कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान शहर के अस्पतालों की दयनीय दशा को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के दौरान ही डॉ. भाट को सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही 8 नवंबर 2017 को जारी आदेश में उन्हें इस पद पर आगे एक्सटेंशन नहीं दिए जाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर डॉ.भाट को 31 दिसंबर 2017 के बाद एक्सटेंशन नहीं दें क्योंकि उनके पुनर्नियुक्ति कार्यकाल में न तो खरीदे गए उपकरण लगाए गए और न ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू किए गए जबकि राज्य सरकार ने इसके लिए भी बजट स्वीकृत किया था। डॉ. भाटी ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर एक्सटेंशन पर रोक लगाने का आदेश वापस लेने की गुहार की थी। सुनवाई की शुरुआत में डॉ.भाट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश ने पूर्व में दिया गया आदेश वापस लेने का आग्रह किया। एएजी शिवकुमार व्यास ने कहा कि उन्हें अभी तक प्रार्थना पत्र की प्रति नहीं मिली है। इस पर कोर्ट ने प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनील अरोड़ा को भ्रष्टाचार मामले में हटाया

राहत पूरी तरह से नहीं, कोर्ट ने कहा सबूतों में अगर दोषी होंगे तो आदेश मामले में बाधा नहीं बनेगा

नई दिल्ली। देश के चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले से हटा दिया है जिनमें उन्हें प्रतिवादी बनाया गया था। आरटीआई कार्यकर्ता मंजू सुराणा ने इस केस को इस बाबत को लेकर दाखिल किया था कि राजस्थान में पाइप घोटाला हुआ था उसमें वर्तमान चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अहम भूमिका थी और उनके साथ अन्य लोगों के खिलाफ जांच के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता नहीं देनी चाहिए।

ये केस जिस समय का है, जब अरोड़ा मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेकेट्री नियुक्त थे। माननीय न्यायाद्यीश जे चेलामेश्वर व संजय किशन कौल की बैंच ने अपने निर्णय में कहा उनके संवैधानिक पद की भूमिका के मद्देनजर बिना कोई तथ्यात्मक सबूतों के उनका नाम केस में शामिल करने का मतलब उन्हें शर्मिंदा करना है।

कोर्ट ने ये कहा...

दस्तावेजी सबूत में दोषी होंगे तो कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि बाद में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अन्तर्गत जांच के निर्देश दिए जाते हैं तथा ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत सामने आता है जिसमें दोषी पाए जाते हैं तब उनका यह आदेश इस मामले में बाधा नहीं होगा।

जमीन के नाम पर भूमाफियों ने हड़पे लाखों रुपए

सुनील गुप्ता, जयपुर

विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर रूपए हड़पने का मामला पुलिस महानिदेशक कार्यालय से स्थानांतरित हो कर पहुंची शिकायत को परिवाद में दर्ज कर लिया। ऐसा एक नहीं दो बार किया। आखिरकार परेशान परिवादी ने डीजी के समक्ष पेश कर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांग ली। मुख्यालय के सख्त निर्देश पर इस बार एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन परिवादी को पुलिसवालों की झिड़की सुननी पड़ी।

जमीन जालसाजी के शिकार विद्याधर नगर निवासी सुनील गुप्ता ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसकी मुलाकात राघवेन्द्र खण्डेलवाल व रजनी आर्य से हुई, जिन्होंने सस्ते दामों प्रॉपर्टी दिलाने का झांसा दिया। उसके बाद दो प्लॉट्स का सौदा तय कर 66 लाख 26 हजार रूपए ले लिए। बाद में मूल दस्तावेज मांगने पर मालूम चला कि ये लोग षडयंत्र रच कर प्लॉट को तीन चार जगह बेच चुके है। इस पर जब आरोपितों से रकम का तकाजा किया तो आरोपितों ने मामले को शांत करने के लिए 35 लाख रूपए वापस लौटा दिए। शेष रकम 31 लाख 26 हजार रूपए देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गुप्ता ने परिवाद पेश कर मामला दर्ज कराया।

परिवाद किया दर्ज

प्रार्थी गुप्ता द्वारा इस मामले की थाने में सुनवाई नहीं होने पर 23 अक्टूबर 2017 को पुलिस महानिदेशक कार्यालय में शिकायत दी। कार्यालय की शिकायत पर एफआईआर के बजाए परिवाद दर्ज किया। गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने दूसरे पक्ष के कथित लाइजनर्स की मौजूदगी में ही उनकी शिकायत सुनी और मामला दर्ज नहीं होने पर 2 दिसंबर को उन्होंने सीएम कार्यालय में शिकायत दी।

तीसरी बार सुनाई खरीखोटी फिर किया दर्ज

गुप्ता तीसरी बार डीजी कार्यालय में 10 जनवरी को पहुंचे। डीजी के आदेश पर मोहम्मद तारीक ने खुद थानाधिकारी चिरंजी लाल से बात की। उन्होंने लिखित पत्र सुनील को देते हुए कहा कि वे खुद इसे लेकर डीसीपी के पास पहुंचे। पत्र देख कर कार्यवाहक डीसीपी राजेश मील ने थाने भेजा और मामला दर्ज करने के आदेश दिए। सुनील को देखते ही थानाधिकारी ने गुस्से में गुप्ता को खरी खोटी सुनाई और आखिरकार मामला दर्ज किया।

मामले में उपपंजीयक की भी भूमिका

गुप्ता ने बताया कि प्लॉट्स की रजिस्ट्री के समय जो मुख्तयारनामा आम पेश किया गया था उसमें ये साफ अंकित था कि उक्त प्लॉट के संबंधित कागजात स्टेण्डर्ड चार्टेड बैंक में है। यानि प्रॉपर्टी के मूल कागजात के बिना ही रजिस्ट्री करवा ली गई।

नोट- इस पूरे मामले में आयकर विभाग द्वारा स्क्रूटनी की कार्रवाई भी की गई और इसमें क्या कार्रवाई हुई, किन किन को नोटिस जारी किया गया जिसकी जानकारी अगले अंक में दी जाएगी।